क्रमांक 12/45/93-6 जी0एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष एवं आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल।

2. सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)।

दिनांक चण्डीगढ़, 25 मई, 1993,

विषय :—सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने बारे।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि हरियाणा की राजभाषा हिंदी है और समय-समय पर सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने बारे निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि सरकारी कार्यालयों में अधिकतर कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। सरकार ने मामले पर विचार करते हुए निर्णय लिया है कि भविष्य में सरकारी नीति के अनुसार फाईलों पर नोटिंग व सभी सरकारी कार्य हिन्दी भाषा में किया जाए। मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि इन हिदायतों की अवहेलना करने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति सभी वित्तायुक्त एवं प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाती है।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा0 क्रमांक 12/45/93-6 जी0एस0-I, दिनांक 25 मई, 1993.